संख्या:65/2026/534/35-4-2026/ 35-4002(003)/63/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संतकबीर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, संत कबीर नगर के पत्र सं0-1016/त्वरित आर्थिक विकास/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026, पत्र सं0-1017/त्वरित आर्थिक विकास/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026, पत्र सं0-1018/त्वरित आर्थिक विकास/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026, पत्र सं0-1015/त्वरित आर्थिक विकास/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026, पत्र सं0-1019/ त्वरित आर्थिक विकास/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-संतकबीर नगर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. 2067.59 लाख (रूपये बीस करोड़ सड़सठ लाख उनसठ हजार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 620.00 लाख (रुपये छह करोड बीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवेर्तन पर निमनांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	विकास खण्ड नाथनगर के ग्राम पंचायत कोडरी में पंचायत भवन मथुरापुर से पप्पू शर्मा के घर एवं फुलदेव दुषाद के घर तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.900	83.92	25.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2	विकास खण्ड नाथनगर के ग्राम पंचायत बलही में बलही से गिठनी सिवान तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.500	46.65	14.00	ग्रा.अ.वि.
3	विकास खण्ड नाथनगर के ग्राम पंचायत गिठनी में राधव के घर से नान्हू के घर तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.500	46.76	14.00	ग्रा.अ.वि.
4	विकास खण्ड हैसर बाजार उमरिया से नेतावापुर मार्ग से शिव मंदिर तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.700	60.26	18.00	ग्रा.अ.वि.
5	विकास खण्ड नाथनगर खजुरिया राजा नहर से बदरवा प्रहलाद नाव के घर तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.620	53.42	16.00	ग्रा.अ.वि.
6	विकास खण्ड हैसर बाजार में रूपिन मार्ग से सुरैना सम्पर्क मार्ग तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.600	65.50	20.00	ग्रा.अ.वि.
7	विकास खण्ड हैसर बाजार चकिया पिच रोड काली जी के स्थान होते हुये भोला कुम्हार के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.570	59.61	18.00	ग्रा.अ.वि.
8	धनघटा तहसील परिसर में अधिवक्ताओं हेतु चैम्बर निर्माण कार्य।	01 अद्द	18.38	6.00	ग्रा.अ.वि.
9	विकास हैसर बाजार के ग्राम पंचायत प्रजापतिपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	01 अद्द	29.81	9.00	ग्रा.अ.वि.
10	विकास खण्ड सेमरियॉवा ग्राम कोहरीयॉवा तेलपुरवा से कोहरीयॉवा केशवापुर मार्ग तक इन्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.615	68.34	21.00	ग्रा.अ.वि.
11	विकास खण्ड सेमरियॉवा में जगदीशपुर उर्फ लहुरादेवा प्राथमिक विद्यालय के बगल से हरिजन बस्ती एवं जवाहर लाल त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.560	46.88	14.00	ग्रा.अ.वि.
12	विकास खण्ड खलीलाबाद ग्राम पंचायत रसूलाबाद एन0एच0-28 से पतनही माता जी के मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.640	66.38	20.00	ग्रा.अ.वि.
13	विकास खण्ड खलीलाबाद ग्राम गडसरपार मंझरिया रोड से फेरूसा नहर पटरी पर इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.560	56.98	17.00	ग्रा.अ.वि.
14	विकास खण्ड खलीलाबाद ग्राम बेलपोखरी रोड से अंत्येष्टि स्थल मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.520	53.19	16.00	ग्रा.अ.वि.
15	विकास खण्ड सेमरियॉवा में ग्राम असनहरा में श्रवण पाण्डेय के घर से कठिनईया नदी के पुल तक इन्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.735	70.95	21.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

16	विकास खण्ड खलीलाबाद में जसविदेव हाता पिच मार्ग से जगन्नाथ चौधरी आदर्श इण्टर कालेज होते हुये ग्राम मथुरापुर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.800	75.09	23.00	ग्रा.अ.वि.
17	विकास खण्ड खलीलाबाद ग्राम पंचायत कुसभिदाडी में मनोज सिंह के घर से रामललित के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	0.740	70.12	21.00	ग्रा.अ.वि.
18	विकास खण्ड मेंहदावल के ग्राम खैरहवा से बरईपुर प्रधान मंत्री सड़क पर स्थिति समय माता मंदिर से दक्षिण खुटहवा होते हुये बरईपुर तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	1.300	119.82	36.00	ग्रा.अ.वि.
19	विकास खण्ड मेंहदावल के ग्राम बढया ठाठर में गौशाला से मेहावर तक पिच रोड का निर्माण।	1.800	158.98	48.00	ग्रा.अ.वि.
20	विकास खण्ड मेंहदावल के मोहिया पुल घुरापाली मार्ग पर ग्राम पिडारी कला से समय माता मंदिर होते हुये ग्राम साडे टोला भडारे मार्ग तक पिच रोड का निर्माण।	1.900	164.90	49.00	ग्रा.अ.वि.
21	विकास खण्ड सांथा में करमा भटौरा मार्ग से करमा उत्तर टोला तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	1.000	65.63	20.00	ग्रा.अ.वि.
22	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के बनियाबारी में कृष्णा पैलेस से हनुमान मंदिर तक पथ प्रकाश कार्य।	50 नग	43.38	13.00	ग्रा.अ.वि.
23	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के बड़गो में जिला न्यायालय से बड़गो मार्ग पर तक पथ प्रकाश कार्य।	164 नग	140.81	42.00	ग्रा.अ.वि.
24	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के बेलबनिया में मोहल्ला बेलबनिया वार्ड नं0 5 में धर्मा देवी पब्लिक स्कूल से लेकर प्रयाग मौर्या के घर होते हुए बाबू राम मौर्या के घर तक पथ प्रकाश कार्य।	60 नग	51.62	15.00	ग्रा.अ.वि.
25	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के मिश्रौलिया वार्ड नं0 24 में मड़या मोड़ से नेहरू इण्टर कालेज के पीछे मार्ग पर पथ प्रकाश कार्य।	60 नग	51.62	15.00	ग्रा.अ.वि.
26	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के मोहल्ला मड़या में सच्चिदानंद शुक्ल के घर से मीरा चौहान के घर होते हुए आलोक त्रिपाठी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.600	59.38	18.00	ग्रा.अ.वि.
27	विकास खण्ड खलीलाबाद के ग्राम भाटपार में पी0डब्लू0डी0रोड से संत रविदास जी के मंदिर तक इण्टरलांकिग रोड निर्माण कार्य।	0.570	42.70	13.00	ग्रा.अ.वि.
28	विकास खण्ड बघौली मकदूमपुर में कन्हैया के घर से उत्तर होते हुए बखरिया मार्ग तक पिच रोड निर्माण कार्य।	1.200	68.22	20.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

29	वि0ख0 सेमरियॉवा में ग्राम पंचायत चमरसन में अनुरूद्ध चौधरी के खेत से शिव मंदिर तक ग्राम चमरसन सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	0.550	41.37	12.00	ग्रा.अ.वि.
30	विकास खण्ड बेलहर कला के ग्राम पंचायत बेलवा ठकुराई में रामवृक्ष गुप्ता के घर तिराहे से काली मंदिर होते हुये अमरगढ ताल दिनेश निषाद के मकान तक पिच रोड निर्माण कार्य।	1.200	86.92	26.00	ग्रा.अ.वि.
	योग:		**2067.59**	**620.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनॉक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों की मद के नामे डाला जायेगा:-

- उक्त तालिका के **क्रमांक-8** पर इंगित कार्य पर होने वाला व्यय रू. 6,00,000/-(रूपये छह लाख मात्र) को 4059608000303-**अधिवक्ताओं के चेम्बरर्स/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता/वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- उक्त तालिका के **क्रमांक-9** पर इंगित कार्य पर होने वाला व्यय रू. 9,00,000/-(रूपये नौ लाख मात्र) को 4059608000305-**सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु**-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- उक्त तालिका के **क्रमांक-22 से 25** पर इंगित कार्यों पर होने वाले व्यय रू. 85,00,000/-(रूपये पच्चासी लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-4801808000301- **शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था** -24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- उक्त तालिका के शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू. 5,20,00,000/-(रूपये पांच करोड़ बीस लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-5054043370301-**ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**- 24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:65/2026/534(1)/35-4-2026/35-4002(003)/63/2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/न्याय/राजस्व/पंचायतीराज/ऊर्जा/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीर नगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संतकबीर नगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संतकबीर नगर।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, संतकबीर नगर।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।